उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः /कौ0वि0मि0/2021–22/ईएण्डसी/2024

दिनांक : 29 जून, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–आरपीएल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र स्थापना, बैच निर्माण, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रक्रिया हेतु संशोधित दिशा–निर्देश।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 4472/कौ0वि0मि0/ई0 एण्डसी0/आरपीएल/1667/2019–20 दिनांक 03.06.2020 द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्पकारों के शिल्पकला उन्नयन व प्रमाणीकरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं (डीडीयूजीकेवाई व पीएमकेवीवाई को छोड़कर) के अन्तर्गत आरपीएल (रिक्नीशन ऑफ प्रायर लर्निंग) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत आरपीएल के क्रियान्वयन सम्बन्धी कतिपय मानकों में परिवर्तन किया गया है।

उक्त के फलस्वरूप पूर्व निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 4472/कौ0वि0मि0/2019 दिनांक 03.06.2020 निम्नवत् संशोधित समझा जाएगाः–

1. **प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण की प्रक्रिया**

   - जनपद में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा आर0पी0एल0 प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट, काउंसलिंग एवं प्री–स्क्रीनिंग रिपोर्ट सम्बन्धित जनपद के डी0पी0एम0यू0 कार्यालय में जमा की जायेगी।
   - प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा आर0पी0एल0 हेतु अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना उसी क्लस्टर में की जायेगी, जिस क्लस्टर में उनके द्वारा सर्वे किया गया है अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा चिह्नित किया गया है।
   - मिशन द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत निर्मित अस्थाई केन्द्रों का संबंधित डी0पी0एम0यू0 द्वारा निरीक्षण करने के उपरान्त अनुमोदन किया जायेगा।
   - आर0पी0एल0 प्रशिक्षण के अन्तर्गत निर्मित अस्थाई केन्द्रों पर निम्न व्यवस्थायें उपलब्ध होना आवश्यक हैः–
     1. ब्रिज कोर्स से सम्बन्धित टूल उपकरण की उपलब्धता।
     2. प्रशिक्षणार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था।
     3. स्वच्छ पेयजल ।
     4. शौचालय।
     5. हवा व रोशनी की उचित व्यवस्था।
     6. आधार इनेबुल्ड बायोमैट्रिक मशीन।
     7. कौशल विकास मिशन की ब्राण्डिंग (मुख्य द्वार पर बैनर एवं दो स्टैन्डी)।

8. प्रति बैच (न्यूनतम 25 व अधिकतम 50 प्रशिक्षणार्थियों हेतु) एक हॉल।

2. प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र का अनुमोदन हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा सम्बन्धित जनपद में स्थापित अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण व अनुमोदन सम्बन्धित जनपद के डी.पी. एम.यू. द्वारा किया जायेगा। केन्द्र अनुमोदन का पोर्टल जनरेटेड प्रमाण पत्र प्रारूप–RA जिला मुख्यालय में संरक्षित किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण प्रदाता को यदि मिशन द्वारा ब्रिज कोर्स के साथ आर0पी0एल0 प्रशिक्षण का आवंटन किया गया है तो प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा पोर्टल पर प्रशिक्षण केन्द्र की रिक्वेस्ट प्रेषित करते समय RPL with Bridge Course के विकल्प का चयन किया जायेगा।
4. मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता को आवंटित आर0पी0एल0 12 घंटे हेतु पोर्टल पर प्रशिक्षण केन्द्र की रिक्वेस्ट प्रेषित करते समय General RPL के विकल्प का चयन किया जायेगा।
5. केन्द्र अनुमोदन के समय डी0पी0एम0यू0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र पर प्रशिक्षित किये जाने वाले बैच से सम्बन्धित जॉबरोल्स में टी0ओ0टी0 प्रमाणित प्रशिक्षक उपलब्ध है।

2. बैच निर्माण की प्रक्रिया

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत आर0पी0एल0 प्रशिक्षण संचालित करने के लिए मोबिलाइजेशन एवं काउंसिलिंग के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता के अनुसार वांछित सेक्टर एवं जॉब रोल में प्रशिक्षण के लिए बैच बनाकर प्रस्तावित करने का दायित्व संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता का होगा।
- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। अनुमोदनोपरान्त प्रारूप RC एवं मूल्यांकन हेतु अवार्डिंग बॉडी को उपलब्ध कराना होगा।
- प्रस्तावित बैच का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण कर अनुमोदन प्रदान करने का दायित्व जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन का होगा।
- आर0पी0एल0 प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक बैच का साइज न्यूनतम 25 व अधिकतम 50 अभ्यर्थियों का होगा।
- **प्रशिक्षण प्रदाता को यदि मिशन द्वारा ब्रिज कोर्स के साथ आर0पी0एल0 प्रशिक्षण का आवंटन किया गया है तो प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा पोर्टल पर मिशन द्वारा आवंटित ब्रिज कोर्स की अवधि को सिलेक्ट किया जायेगा।**
- **मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता को जितनी अवधि का ब्रिज कोर्स का आवंटन किया गया है, उसके अनुसार ही बैच का अनुमोदन जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा किया जायेगा।**
- जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अनुमोदन हेतु पोर्टल पर अपलोड बैचों को तीन कार्य दिवस में अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए।
- जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा सम्बन्धित जनपद में निर्मित बैच के प्रशिक्षणार्थियों की

अर्हता सम्बन्धित अभिलेखीय परीक्षण प्रारूप–RC के अनुसार करते हुये, अपना अनुमोदन प्रदान कर प्रमाणपत्र को डी0पी0एम0यू0 कार्यालय में रक्षित करना होगा।

- ***BoCW** योजना के अन्तर्गत निर्मित बैच में चयनित प्रशिक्षणार्थी की सूची सहायक जिला श्रमायुक्त से सत्यापित कराना अनिवार्य है। डी0पी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा उक्त योजना में निर्मित बैचों के प्रशिक्षणार्थियों का विवरण सहायक जिला श्रमायुक्त द्वारा सत्यापित सूची से भिन्न न हो।*
- ***UPSRLM** की समूह की महिलाओं के आर0पी0एल0 प्रशिक्षण हेतु निर्मित बैच में चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूची सम्बन्धित विभाग से सत्यापित/प्राप्त कराना अनिवार्य है। डी0पी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा उक्त योजना में निर्मित बैचों के प्रशिक्षणार्थियो का विवरण **UPSRLM** द्वारा सत्यापित सूची से भिन्न न हो।*
- *प्रवासी मजदूरों के आर0पी0एल0 प्रशिक्षण हेतु निर्मित बैच में चयनित प्रशिक्षणार्थी की सूची जिला प्रशासन से प्राप्त करना अनिवार्य है। डी0पी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रवासी मजदूरों हेतु निर्मित बैचों के प्रशिक्षणार्थियों का विवरण जिला प्रशासन से सत्यापित सूची से भिन्न न हो।*
- *आर0पी0एल0 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के मिश्रित बैच निर्मित नहीं किये जायेंगें। सम्पूर्ण बैच में किसी एक विशिष्ट योजना के ही पात्र प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित किये जायेंगें।*

3. प्रशिक्षणार्थी की अर्हता

1. **दक्षता–** चयनित जॉब रोल में प्रशिक्षणार्थी सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्राप्त हो एवं जॉब रोल से सम्बन्धित कार्य कर रहा है।
2. **आयु–** प्रशिक्षणार्थी की आयु जॉबरोल में निर्धारित न्यूनतम आयु के अनुसार तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष हो। BoCW योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 50 वर्ष हो।
3. **शैक्षिक योग्यता–** प्रशिक्षण प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक योग्यता वही हो जो चयनित जॉबरोल में सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा निर्धारित की गयी है।
4. **निवास स्थल–** प्रशिक्षणार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
5. **आर0पी0एल0 हेतु प्रशिक्षणार्थियों की अन्य अर्हता–**
    i. आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत कौशल विकास योजना का लाभ प्राप्त न किया गया हो।
    ii. आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
    iii. प्रशिक्षण प्रदाता एवं डी0पी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैच में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय का स्वघोषणा–पत्र (***प्रारूप***–RB) दिया गया है कि उनके द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।